

## श्रम मानक विभाग (Division of Labor Standards)

### श्रम मानक प्रवर्तन प्रक्रिया की नोटिफिकेशन

#### रसीद और शिकायत का रिव्यू:

जब कोई व्यक्ति रोजगार से संबंधित शिकायत के संबंध में **श्रम मानक विभाग** के साथ व्यक्तिगत रूप से, फोन द्वारा या मेल द्वारा संचार करता है, तो हमारा पहला कदम यह निर्धारित करना है कि क्या समस्या ऐसी है जिसमें हस्तक्षेप करने का हमारे पास कानूनी अधिकार है या नहीं, इसमें शामिल मुद्दा हमारे "अधिकार क्षेत्र" के अंतर्गत है या नहीं। यदि ऐसा नहीं है, तो हम आपको उस एजेंसी या संगठन के पास भेजने का हर संभव प्रयास करेंगे जो आपकी सर्वोत्तम सहायता कर सकता है। यदि आपकी शिकायत श्रम मानक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है, तो आपसे एक **दावा प्रपत्र** भरने के लिए कहा जाएगा। आपके द्वारा सबमिट किए गए दावा प्रपत्र की समीक्षा करने के बाद, आपको उस **डॉकेट** नंबर के बारे में मेल द्वारा सूचित किया जाएगा जो इसे सौंपा गया है। दावा प्रपत्र के पूरा होने और डॉकेटिंग पर एक "शिकायत" एक "दावा" बन जाता है। दावे की हमारी जांच के दौरान किसी भी समय आपसे अतिरिक्त जानकारी देने के लिए कहा जा सकता है।

#### दावे की जांच:

चूँकि प्रत्येक दावे के तथ्य और परिस्थितियाँ अलग-अलग होती हैं, इसलिए इसकी जाँच के दौरान **डिवीजन** द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएँ और तकनीकें भी अलग-अलग होती हैं। इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक समय की मात्रा भी भिन्न-भिन्न होती है, जो मुख्य रूप से नियोक्ता के सहयोग की डिग्री, किसी भी पक्ष से जानकारी प्रदान करने के लिए कहे जाने पर प्रतिक्रिया की तीव्रता और प्रेरक साक्ष्य की उपलब्धता पर निर्भर करती है, जैसे अभिलेख, गवाह, आदि।

आमतौर पर, जांच की शुरुआत **डिवीजन** द्वारा नियोक्ता से टेलीफोन, पत्र या दोनों द्वारा संपर्क करने से होती है। यदि नियोक्ता पहले पत्राचार (आमतौर पर एक दस्तावेज़ जिसे "**संग्रह पत्र**" के रूप में जाना जाता है) का जवाब देने में विफल रहता है, तो दूसरा पत्र भेजा जा सकता है। (कुछ मामलों में, फ़ील्ड जांच आवश्यक हो सकती है।) कभी-कभी, नियोक्ता से दावे में शामिल मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक में भाग लेने का अनुरोध किया जा सकता है। जहां कोई विवाद या गैर-अनुपालन मौजूद है, वहां बकाया मुद्दों को हल करने के लिए एक **अनुपालन सम्मेलन** - जिसमें दोनों पक्षों को आमंत्रित किया जाता है - आयोजित किया जा सकता है।

#### परिणाम:

जहां जांच से पता चलता है कि उल्लंघन मौजूद है, और नियोक्ता अनुपालन करने या क्षतिपूर्ति प्रदान करने में विफल रहता है, श्रम आयुक्त द्वारा **अनुपालन का आदेश** जारी किया जा सकता है।

#### अपील:

**अनुपालन के आदेश** में डिवीजन के निष्कर्षों से व्यथित नियोक्ता औपचारिक सुनवाई के लिए औद्योगिक अपील बोर्ड में याचिका दायर कर सकता है। इस अपील कार्यवाही के दौरान, न्यूयॉर्क राज्य श्रम विभाग कर्मचारी (कर्मचारियों) का प्रतिनिधित्व करता है।

#### दीवानी/आपराधिक कार्यवाही:

यदि **अनुपालन के आदेश** की कोई समय पर अपील दायर नहीं की गई है और नियोक्ता ने अभी भी भुगतान जमा नहीं किया है, तो मामला नागरिक प्रवर्तन के लिए अटॉर्नी जनरल के कार्यालय को भेजा जा सकता है, जिस का शिर्षक होता है "**पैसा निर्णय**।" इसके अलावा, एक **आपराधिक अभियोजन** अटॉर्नी जनरल को रेफर करना एक विकल्प हो सकता है - यदि सबूत पर्याप्त है और केस को स्वीकृत करने के लिए

मामले के लिए कुछ अन्य कानूनी मानदंड (जैसे कि नियोक्ता के ठिकाने का पता होना) मौजूद हैं। आपराधिक मुकदमा न्यूयॉर्क राज्य श्रम कानून के उल्लंघन के लिए शुरू किया गया है, न कि किसी मौद्रिक राशि के लिए जो प्रभावित पक्षों को देय हो सकती है।

**हमें बताइए:**

कृपया हमें अपने पते में किसी भी बदलाव के बारे में सूचित करना या अपने मामले से संबंधित किसी भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बारे में सूचित करना सुनिश्चित करें, जैसे कि आपके दावे पर भुगतान की रसीद, आपके पूर्व नियोक्ता द्वारा संपत्ति आदि।